



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160 019

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector
27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160 019
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 - 2650783

Email: soilcons_chd@yahoo.com website http://www.cswcrtiweb.org



पत्रांक 7(7)/2019-20/Store/

दिनांक: 12-04-2023

नीलामी सूचना


केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ द्वारा निम्नलिखित फलों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 04.05.2023 को सुबह 11:00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी पर की जानी निश्चित है। इस अवधि में फलों को तोड़ने का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2023 तक रहेगा। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले किसी भी समय 09:00 से 04:00 बजे तक फलदार पौधों का नीरीक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी पर आकर कर सकते हैं तथा आंकलन अनुसार खुली बोली में दिनांक 04.05.2023 को भाग ले सकते हैं।

क्रम	फल दार पौधे	पौधों की संख्या
1	अमरुद	157
2	आम	31
3	किन्नु	51
4	बेर	171
5	चीकू	17
6	करोड़ा	62
7	बेल	50
8	जमुन	06
9	कटहल	01

निबंधन एवं शर्तें

1. संस्थान के अनुसंधान फार्म प्रक्षेत्र मनसा देवी पंचकूला पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त खुली बोली के माध्यम से नीलामी पूर्ण की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीयन कराना होगा।
3. बोलीदाता की पंजीयन राशी रु. 2,000/- पंजीयन के समय बोलीदाता को नगद/ डी.डी/बैंकर्स चैक/Posh machine के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
4. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
5. सफल बोलीदाता को बोली का 25 प्रतिशत भुगतान नगद/डी.डी/बैंकर्स चैक/POS machine/ SBI Collect के माध्यम से जो Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो तुरन्त जमा करवाना होगा तथा वकाया 75 प्रतिशत को तीन किस्तों में जमा करवा सकते हैं। पहली किस्त फल तोड़ने से पहले जमा करवानी होगी, उसके तीन माह पश्चात दूसरी किस्त तथा उसके तीन महिनो के बाद तीसरी तथा अन्तिम किस्त जमा करवानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
6. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध करवाने होंगे तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पति

- को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
7. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फलों की देख-रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पौधों को दवाई इत्यादि (input) तथा पानी केन्द्र की ओर से प्रदान किया जाएगा तथा स्प्रै इत्यादि करवाने हेतु तथा फलों को तोड़ने तथा लेवर का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
 8. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
 9. फलों को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
 10. नीलाम किए गए फलों के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निशेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
 11. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
 12. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
 13. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एवं संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 14. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।
 15. ठेके की अवधि तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक रहेगी। अगर किसी कारण वस फलों की पूर्ण तुड़ाई इस अवधि में नहीं हो पाती है तो ठेकेदार द्वारा दिए गए लिखित अनुरोध पर ठेके को आगामी 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार) भा0कृअनुप0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal (e-publishing) पर upload करने हेतु।
2. प्रभारी AKMU Cell, भा0कृअनुप0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय/नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय।